सामान्य जानकारी, पात्रता एवं समयावधि–

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में श्रमिक पंजीयन हेतु पात्रता एवं प्रक्रिया निम्न प्रकार है–

1. ऐसे सभी श्रमिक जो 18 से 60 वर्ष आयु के हैं और जिन्होंने पंजीकरण के समय पिछले 12 माह में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो
2. निर्माण श्रमिक श्रम विभाग के जिला श्रम कार्यालय/जनसेवा केन्द्रों/बोर्ड की वेबासाइट पर पंजीयन फार्म के साथ दो फोटो, आधार कार्ड, नियोजन प्रमाण पत्र/स्वः प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्माण श्रमिक के रूप में गत 12 महीनों में 90 दिनों तक कार्य करने का प्रमाण पत्र सहित रू0 20/– पंजीकरण शुल्क, रू0 20/– प्रति वर्ष के अभिदान (अंशदान) के साथ अधिकतम 03 वर्ष हेतु रू0 60/–एक साथ जमा कर सकते है।
3. जनसेवा केन्द्र/बोर्ड के पोर्टल पर आवेदन दिनांक के भीतर भुगतान करने पर आवेदक का पंजीयन तीन दिन के उपरान्त डीम्ड स्वीकृत हो जायेगा। योजना के समय उसके आवेदन की पात्रता का परीक्षण किया जायेगा।
4. **निम्न 40 प्रक्रियाओं में कार्य करने वाले श्रमिक निर्माण के अन्तर्गत आवर्त होंगें–**

1	बेल्डिंग का कार्य	21	चौकीदारी (निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए)
2	बढ़ई का कार्य	22	चूना बनाना
3	कुआँ खोदना	23	मिट्टी का काम
4	रोलर चलाना	24	सीमेंट, कंक्रीट, ईट आदि ढोने का कार्य
5	छप्पर डालने का कार्य	25	लिफ्ट एवं स्वचलित सीढ़ी की स्थापना का कार्य
6	राजमिस्त्री का कार्य	26	सुरक्षा द्वार एवं अन्य उपकरणों की स्थापना का कार्य
7	प्लम्बरिंग	27	मिट्टी, बालू व मौरंग के खनन का कार्य
8	लोहार	28	ईट–भट्ठों पर ईंट निर्माण का कार्य
9	मोजैक पॉलिश	29	सामुदायिक पार्क या फुटपाथ का निर्माण
10	सड़क निर्माण	30	रसोई में उपयोग हेतु माडूलर इकाइयों की स्थापना
11	मिक्सर चलाने का कार्य	31	खिड़की ग्रिल, दरवाजे आदि की गढ़ाई एवं स्थापना का कार्य
12	पुताई	32	मकानों/भवनों की आन्तरिक सज्जा का कार्य
13	इलैक्ट्रिक वर्क	33	बड़े यांत्रिक कार्य, जैसे–मशीनरी, पुल निर्माण कार्य आदि
14	हथौड़ा चलाने का कार्य	34	अग्निशमन प्रणाली की स्थापना एवं मरम्मत का कार्य
15	सुरंग निर्माण	35	ठंडे एवं गरम मशीनरी की स्थापना और मरम्मत का कार्य
16	टाईल्स लगाने का कार्य	36	बाढ़ प्रबन्धन व इसी प्रकार के अन्य कार्य से संबंधित कार्य
17	कुएं से गाद(तलछट) हटाने का कार्य/डिविंग	37	बाँध पुल, सड़क का निर्माध या भवन निर्माण के अधीन कोई संक्रिया
18	चट्टान तोड़ने का कार्य या खनिकर्म	38	स्विमिंग पूल, गोलफ कार्स आदि/सहति अन्य मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण कार्य
19	स्प्रे या मिक्सिंग वर्क (सड़क निर्माण से सम्बद्ध)	39	लिपकीय/लेखा–कर्म (किसी निर्माण अधिष्ठान लिपिक व लेखाकार के रूप में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मकार के लिए)
20	मार्बल एवं स्टोन्स वर्क	40	सभी प्रकार के पत्थर काटने, तोड़ने व पीसने का कार्य